तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
26.6.18	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।	
	वकीलान मय पक्षकारान उपस्थित	
हरीलाल	बहस वकीलान सुनी गई।	
	पत्रावली का अवलोकन किया	
नि. राम मिथलेश हस्ताक्षर	गया। उभय वकीलान का मत	
प्रकाश	किया गया। धारा वादी डिक्री	
	योग्य पाया जाता है। अतः धारा	
छोटेलाल	वादी पक्ष वादी डिक्री किया	
	जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक	
मातादीन	से लिखाया जाकर आज जारी किया	
	गया। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली	
	फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर	
	हो सुनाया।	
	(हस्ताक्षर)	
	CDM	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद सख्या 1/ 74/17

बउनवान

1. देवीलाल पुत्र मूला जाति कीर निवासी समूँची
   तहसील कठूमर जिला अलवर

--- वादी

बनाम

1. मूला उर्फ मूली पुत्र बुद्वि माता हुकमकौर जाति कीर
2. मातादीन पुत्र मूला जाति कीर
3. छोटेलाल पुत्र मूला जाति कीर
4. प्रकाश पुत्र मूला जाति कीर
5. मिथलेश पुत्री मूला जाति कीर

निवासीयान ग्राम समूँची तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका

श्री श्यामसिंह चौहान :– अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 26.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 134 रकवा 1.04 हे. 216 रकवा 0.67 हे. 930 रकवा 0.23 हे. 896 रकवा 1.19 हे. ग्राम समूँची तहसील कठूमर में स्थित है। वादी एंव प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। उपरोकत विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है जो प्रतिवादी सं01 को वादी के बाबा बुद्वि व वादी की दादी हुकमकौर से विरासत में प्राप्त हुई है। जिस आराजी मुतनाजा में वादी को जन्म लेते ही अधिकार निहित हो गये है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 ला05 का 5/6 हिस्सा है। वादी विवादित आराजी में अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों

Scanned by CamScanner

पर विपरीत असर पड रहा है वादी विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से अपने हिस्से की आराजी अपने नाम कराने बावत कहा तो प्रतिवादी सं01 ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादी वृद्व व्यक्ति है जो गांव के दीगर लोगों की वहकावट में आकर विवादित आराजी को हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर रहन वय करना चाहता है व वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने की धमकी देता है। अतः प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी के नाम 1/6 हिस्सा की घोषणा की जावे व प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2–6 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 20.04.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी एवं प्रतिवदि संख्या 2 लगा0 5 ने लोक अदालत केम्प समूची में उपस्थित होकर बताया कि हमारे पिताजी प्रतिवादि संख्या 1 मूला पुत्र बुद्धी गत 18–20 वर्षो से लापता है जिसका इस्तहार गुमशुदगी की तलाश बाबत पुलिस थाना खेरलीगंज ने दिनांक 01.07.15 को जारी किया था। इस्तहार व न्यूज अखवार राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.07.15 को साया करवाया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 का बावजूद इस्तकार कोई अता पता आज तक नहीं चला है। ग्राम पंचायत समूची ने भी अपनी सजरा रिपोर्ट दिनांक 26.06.18 में प्रतिवादि संख्या 1 मूलाराम के 20 सालो से लापता होने का उल्लेख किया है। मजमें आम में भी जानकारी करने पर लापता होने का तथ्य साबित होने से प्रतिवादि संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम समूँची की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। लोक अदालत में प्रतिवादी देवीलाल मिथलेश उर्फ निर्मला प्रकाश छोटेलाल व मातादीन ने स्वंय उपस्थित होकर पत्रावली पर हस्ताक्षर कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के हम सभी वारिस है हमारे पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से हमारा 5/6 हिस्सा खातेदारी में अंकित कर दिया जावे। वादी ने ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी वारिसान की तहरीर पेश की हे जो शामिल पत्रावली है। प्रस्तुत वारिसान प्रमाण पत्र व पत्रावली के तथ्यों के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ला05 ही प्रतिवादी सं0 1 के वारिस है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस सुनी तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 134,216,930 896 सालिम प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड प्रतिवादी सं0 2 ला05 की सहमति व कथनानुसार

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी वादी की पैत्रिक सावित होने से वादी विवादित आराजी में अपने 1/6 हिस्सा की आराजी की घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 134 रकवा 1.04 हे. 216 रकवा 0.67 हे. 930 रकवा 0.23 हे. 896 रकवा 1.19 हे. ग्राम समूँची तहसील कठूमर का वादी को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादि संख्या 2 लगा0 5 को 4/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 26.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 74/17

बउनवान

1. देवीलाल पुत्र मूला जाति कीर निवासी समूॅची
तहसील कठूमर जिला अलवर

--- डिक्रीदार

बनाम

1. मूला उर्फ मूली पुत्र बुद्धि माता हुकमकौर जाति कीर
2. मातादीन पुत्र मूला जाति कीर
3. छोटेलाल पुत्र मूला जाति कीर
4. प्रकाश पुत्र मूला जाति कीर
5. मिथलेश पुत्री मूला जाति कीर

निवासीयान ग्राम समूॅची तहसील कठूमर

मदयूनान

दावा इस्तकरारहक हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 134 रकवा 1.04 हे. 216 रकवा 0.67 हे. 930 रकवा 0.23 हे. 896 रकवा 1.19 हे. ग्राम समूॅची तहसील कठूमर का वादी को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादि संख्या 2 लगा0 5 को 4/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें।

आज दिनांक 26.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner